कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी

पत्रांक 3668 /33–1 दिनांक, झांसी, मई 23 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ

विषयः– जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम गुलारा, तिलैथा, बचावली एवं बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 6.2793 हे0 एवं आरक्षित वनभूमि 0.408 हे0 कुल 6.6873 हे0 वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु ।

संदर्भः–
1. आपका पत्रांक–3224/11सी, दिनांक 17.05.2022, प्रस्ताव सं0 FP/UP/ Water/ 150514/ 2021
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक–3444/15–1, दिनांक 23.05.2022 ।

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 23.05.2022 द्वारा संस्तुति सहित इस कार्यालय में प्रेषित किया, जिसे मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

23/05

(पी0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 3668 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(पी0पी0 सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 3444/15–1 दिनांक, झांसी, मई 23 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0,
झांसी ।

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषयः– जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम गुलारा, तिलैथा, बचावली एवं बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 6.2793 हे0 एवं आरक्षित वनभूमि 0.408 हे0 कुल 6.6873 हे0 वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु ।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–3224/11सी, दिनांक 17.05.2022, प्रस्ताव सं0 FP/UP/Water/150514/2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में 15 बिन्दुओं की आपत्तियॉ दर्शायी गयी है, उक्त कमियों को पूर्ण कर संस्तुति सहित पूर्ति अभिलेख प्रस्ताव की चार प्रतियों में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी महोदय, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :–

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलगन किये गये संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, में वनभूमि के वैधानिक स्थिति एक ही अभिलेख में कही पर आरक्षित व कहीं पर संरक्षित अंकित है तथा उसका क्षेत्रफल भी गलत अंकित है। अतः प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का परीक्षण कर सही वैधानिक स्थिति व क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें ।	प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वनभूमि की वैधानिक स्थिति एवं क्षेत्रफल संशोधित कर सही कर दिया गया है एवं प्रस्ताव के भाग–2 में ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है (पृष्ठ सं0 42 से 54) ।
2	भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, किन्तु वनभूमि की वैधानिक स्थिति गलत अंकित है। अतः सही वैधानिक स्थिति अंकित संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें ।	भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में वनभूमि की वैधानिक स्थिति संशोधित कर दी गयी है एवं प्रस्ताव के भाग–2 में ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है (पृष्ठ सं0–107)।
3	आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रस्ताव संलग्न लीज अवधि प्रमाण पत्र में अवधि 30 वर्ष अंकित है, जबकि ऑनलाइन पार्ट–1 के कमांक–(X) में अवधि 50 वर्ष अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑनलाइन पार्ट–1 में सही अवधि 30 अंकित कर संशोधित ऑनलाइन पार्ट–1 प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव के ऑनलाइन भाग–1 के कमांक–(X) में अवधि 30 वर्ष अंकित कर ऑनलाइन पार्ट–1 में संशोधित कर दी गयी है (पृष्ठ सं0 1 से 7)
4	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का सकल क्षेत्रफल 13.70 शुद्व 13.38 अथवा 13.40 हे0 का

	DSS Analysis प्रमाण पत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु शुद्ध क्षेत्रफल 13.06 हे0 है, जबकि शुद्ध क्षेत्रफल 13.40 होना चाहिए, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कम है। अतः पर्याप्त वृक्षारोपण स्थल का चयन कर उससे सम्बन्धित अभिलेख एवं के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें ।	DSS Analysis उच्च स्तर से कराकर संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है एवं प्रस्ताव के भाग–2 में ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है (पृष्ठ सं0 109 से 111)।
5	भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	भू–स्वामित्व विभाग की पी0डब्लू0डी0 द्वारा जारी एन0ओ0सी0 संलग्न कर दी गई है (पृष्ठ सं0 62A से 63B) एन0एच0ए0आई0 27, 39 एवं 44 से सम्बन्धित एन0ओ0सी0 उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में यूजर एंजेसी द्वारा वचनवद्वता दी गयी है कि यह एन0ओ0सी0 उक्त प्रस्ताव को यथाशीघ्र भारत सरकार को भेजने से पूर्व प्रेषित कर दी जायेगी। वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है (पृष्ठ सं0 63 से 63C)।
6	प्रस्ताव में संलग्न किये गये में 6.2793 हे0 संरक्षित एवं 0.408 हे0 आरक्षित वनभूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र, प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र, ऑनलाइन पार्ट–2, हार्डकापी भाग–2 एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों में 6.2793 हे0 आरक्षित एवं 0.408 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जो कि विरोधाभाष है। अतः समस्त अभिलेखों में सही वैधानिक स्थिति एवं क्षेत्रफल अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	प्रस्ताव के भाग–2 हार्ड कॉपी में वनभूमि की वैधानिक स्थिति व क्षेत्रफल का संशोधन कर संरक्षित वनभूमि 6.2793 हे0 एवं आरिक्षत वनभूमि 0.408 हे0 कुल 6.6873 हे0 अंकित कर भाग–2 को ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड कर दिया गया है (पृष्ठ सं0 10 से 15)।
7	परियोजना में 1 हे0 से कम आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है तथा ऑनलाइन पार्ट–1 व पार्ट–2 में 0.408 हे0 गैर वनभूमि से सम्बन्धित विवरण एवं के0एम0एल0 फाइल अपलोड है। अतः इसे ऑनलाइन से डिलिट करें ।	परियोजना में आरक्षित वनभूमि 1 हे0 से कम है इसलिए ऑनलाइन पार्ट–1 से 0.408 हे0 गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल को डिलिट कर दिया गया है।
8	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि फीड नहीं की गयी है।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि फीड कर दी गयी है।
9	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–13 में इस प्रस्ताव का प्राक्कलन न अपलोड करके हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित प्रस्ताव का प्राक्कलन अपलोड किया गया है, जोकि गलत है। अतः इसे डिलिट कर सही प्राक्कलन अपलोड करें ।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–13 से हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित प्रस्ताव का प्राक्कलन डिलिट करके उक्त प्रस्ताव का प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।
10	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में अपलोड किये गये समस्त अभिलेख हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित किसी अन्य प्रस्ताव के है, जोकि गलत है। अतः इस ऑनलाइन भाग–2 से डिलिट कर सही अभिलेख Additional Information Detail में यथास्थान पर अपलोड करें ।	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में अपलोड किये गये अन्य प्रस्ताव के सभी अभिलेख डिलिट करके उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित अभिलेख यथास्थान पर अपलोड कर दिये गये है।
11	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–15 में अपलोड किया गया स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित है। अतः इसे डिलिट कर सही स्थलीय निरीक्षा रिपोर्ट यथास्थान पर अपलोड करें ।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–15 में हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट को डिलिट करके उक्त प्रस्ताव की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।
12	ऑनलान भाग–2 के कमांक–16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति किसी हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प की अपलोड की गयी है। अतः इसे डिलिट कर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथास्थान पर अपलोड करें ।	ऑनलान भाग–2 के कमांक–16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प की डिलिट करके उक्त प्रस्ताव की प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथास्थान पर अपलोड कर दी गयी है।

13	ऑनलान भाग–2 के कमांक–16 में वन संरक्षक, झांसी द्वारा अपलोड किये गये पत्र में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति एवं प्रस्ताव सं0 त्रुटिपूर्ण अंकित है। अतः सही वैधानिक स्थिति अंकित कर संशोधित पत्र ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–16 में संस्तुति सहित अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण पत्र ऑनलाइन भाग–2 से डिलिट करें ।	ऑनलान भाग–2 के कमांक–16 में वन संरक्षक, झांसी द्वारा अपलोड किये गये पत्र में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति व क्षेत्रफल को संशोधित करके प्रस्ताव सं0 सही अंकित कर भाग–2 के कमांक 16 में संस्तुति अपलोड कर दी गयी है तथा त्रुटिपूर्ण पत्र ऑनलाइन भाग–2 से से डिलिट कर दिया गया है।
14	प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, SOI Toposheet & kml File ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–13 में अपलोड नहीं है।	प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि 13.38 अथवा 13.40 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, प्राक्कलन, डिजिटल मैप, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 13 में अपलोड कर दी गयी है।
15	प्रस्ताव में संलग्न सी0डी0 ब्लैंक है। अतः इसे पृथक कर उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल, जिसमें प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल भी अपलोड हो, पेनड्राइव में अपलोड कर तीनो प्रस्तावों में संलग्न करें ।	प्रस्ताव में संलग्न सी0डी0 में उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल जिसमें प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि की के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर दी गयी है एवं पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव की प्रतियों में संलग्न है।

संलग्नक :– प्रस्ताव की चार प्रतियॉ ।

भवदीय

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी महोदय, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी